राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736

पत्रांक : एफ(20)आकाशि/ नि.सं. /पॉलिसी/2020/ 239 दिनांक : 15 मई 2020

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
(नोडल निरीक्षण अधिकारी, NOC निजी महाविद्यालय)
समस्त राजस्थान

विषय : निजी महाविद्यालयों के कमी- पूर्ति दस्तावेजों को राजकीय महाविद्यालय की ई - मेल से आयुक्तालय को प्रेषित करना ।

महोदय

उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निजी संस्थाओं द्वारा कमीपूर्ती के दस्तावेज नोडल प्राचार्य के माध्यम से प्रमाणित करने के पश्चात् आयुक्तालय में व्यक्तिशः प्रस्तुत किये जाते हैं , जिससे शाखा में बाहरी व्यक्तियों का आवागमन अत्यधिक होता है । वर्तमान में COVID-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए उक्त के संदर्भ में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य निर्देशों की पालना संभव नहीं है । अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सत्र 2020-21 में निजी महाविद्यालयों की NOC के समस्त प्रकरणों में निजी संस्थाओं से प्राप्त समस्त कमीपूर्ति के दस्तावेजों को प्रमाणित करने के पश्चात, स्कैन कर राजकीय महाविद्यालय की ई-मेल से निजी संस्था शाखा की ई-मेल jdpinoc.cce@gmail.com पर प्रेषित करेंगे ।

प्राचार्य महोदय कमीपूर्ति के दस्तावेजों को ई-मेल से निजी संस्था शाखा को प्रेषित करते समय निम्नांकित बिन्दुओं की अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करें -

1. दस्तावेजों की स्कैन कॉपी पठनीय व सुस्पष्ट होनी चाहिए ।
2. जो दस्तावेज आयुक्तालय द्वारा प्रेषित कमी पूर्ति पत्र में उल्लेखित है उनको ही ई-मेल से send करें, अनावश्यक नहीं ।
3. आयुक्तालय में प्रेषित कमी पूर्ति दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर प्राचार्य एवं निरीक्षण दल के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम व मोहर अवश्य अंकित करें ।
4. संस्था द्वारा प्रस्तुत भवन के मानचित्र में यदि कोई असंगति है तो नोडल मानचित्र पर ही उसका अंकन कर दें ।
5. निजी संस्थाओं के भौतिक निरीक्षण के फोटोग्राफ्स निर्धारित प्रपत्र में चिपकाकर, प्रमाणित करने के पश्चात् उसको स्कैन कर प्रेषित करें ।
6. निजी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज A4 में हों, इसकी सुनिश्चितता कर ली जाये ताकि दस्तावजों को स्कैन करते समय आसानी रहे ।

7. निजी संस्थाओं द्वारा पूर्ण/ आंशिक पूर्ण की गयी कमियों का समस्त विवरण महाविद्यालय के कवरिंग लैटर के साथ स्कैन कर प्रेषित करें ।
8. यदि कोई संस्था कमी पूर्ति दस्तावेज निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत करती है तो उसे स्वीकार कर, उसके दस्तावेजों पर इसको अंकित करते हुए, उसे भी स्कैन कर प्रेषित करें ।
9. निजी संस्था द्वारा प्रस्तुत समस्त मूल दस्तावेजों की एक पत्रावली महाविद्यालय के कार्यालय में सुरक्षित रखें ।

उक्त निर्देशों के संदर्भ में निजी महाविद्यालयों के कमी- पूर्ति दस्तावेजों को ई - मेल से प्रेषित करने में यदि कोई कठिनाई हो तो कार्यालय समय में डॉ. पंकज गुप्ता, नोडल अधिकारी एन.ओ.सी. ऑनलाइन, निजी संस्था शाखा, आयुक्तालय के मोबाईल न. 9799700200 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

प्रदीप कुमार बोरड IAS ,
आयुक्तकॉलेज शिक्षा राजस्थान ,

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :

1. सचिव, प्रबंध समिति/ प्राचार्य, निजी महाविद्यालय, समस्त राजस्थान को भेज कर लेख है की वे उक्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए कमी पूर्ति दस्तावेज सम्बंधित नोडल को उपलब्ध करावें।
2. वेब प्रभारी को अपलोड करने हेतु ।
3. रक्षित पत्रावली ।

डॉ अल्पना व्यास .
संयुक्त निदेशक निजी संस्थाए
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान